M.P. Trade & Investment
Facilitation Corporation Ltd.
13 OCT 2015
TC OIC-Mega Project
Inward No. 5861

M(J)

Petkey 19.x.15

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक: 12.10.2015

क्र. एफ 12-112/2015/बी-ग्यारह: मेसर्स टेनासिटी ग्लोबल प्रा.लि. द्वारा ग्राम पग्नेश्वर, सांची, जिला रायसेन में स्मार्ट मेडिकल सिटी की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर परियोजनांतर्गत परमार्थिक अस्पताल के फलस्वरूप स्थानीय ग्रामीणों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने तथा संपूर्ण क्षेत्रवासियों को विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिलने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि :-

1. राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पग्नेश्वर, सांची, जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे नं. 570 एवं 578/1 रकबा 56.19 हैक्टेयर तथा 21.267 हैक्टेयर कुल 77.457 हैक्टेयर भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की जावेगी।
2. कंपनी का प्रस्ताव बहुआयामी होने तथा क्षेत्र के विकास को बढावा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेसर्स टेनासिटी ग्लोबल प्रा.लि. को भूमि का आवंटन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा किया जावेगा।
3. परियोजना के प्रथम चरण के लिए मेसर्स टेनासिटी ग्लोबल प्रा.लि. को कुल 50 एकड भूमि आवंटित की जाये तथा शेष भूमि, कंपनी के द्वितीय चरण की परियोजना के लिए आरक्षित रखी जावे। आवंटन दिनांक से 5 वर्ष के भीतर प्रथम चरण पूर्ण करने तथा कुल रूपये 1060 करोड निवेश करने के उपरान्त द्वितीय चरण का आवंटन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा किया जावे। प्रथम चरण समय-सीमा में पूर्ण न होने पर राज्य शासन द्वितीय चरण को आरक्षित भूमि को किसी अन्य उपयोग में ला सकेगी। साथ ही प्रथम चरण में आवंटित भूमि में से रिक्त भूमि को वापिस लेने का भी राज्य शासन को अधिकार होगा।
4. मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के प्रावधानों को इस आशय तक संशोधित करते हुए वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा भूमि की लीज 99 वर्ष के लिए दी जायेगी तथा भूमि को सबलीज एवं

अभिहस्तांकन करने की अनुमति होगी। भूमि का उपयोग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ही किया जायेगा। बिना राज्य शासन की पूर्व अनुमति के भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

5. भूमि का प्रीमियम क्षेत्र के लिए असिंचित भूमि हेतु निर्धारित कलेक्टर गाईड लाईन की 10 प्रतिशत राशि होगी। भू-भाटक नियमानुसार देय होगा। लीज निष्पादित करने के पूर्व कंपनी को प्रीमियम की पूर्ण राशि जमा करना आवश्यक होगा। लीज पंजीयन का व्यय आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक: 12.10.2015

क्रमांक एफ 16-29/2015/बी-ग्यारह

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ राजस्व विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
6. कलेक्टर, रायसेन।
7. डॉ नंदिनी टंडन, फाउंडर/सीईओ, मेसर्स टेनासिटी ग्रुप, 1254, वूडव्यू टेरेस, लॉस अलटोस, केलिफोनिया, यूनाईटेड स्टेड ऑफ अमेरिका- 94022

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग